

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व
मुआंसा के पश्चात ग्राम रामपुरा रेल्वे के खाता सं. 120, 121 खसरा नं. में आवेदन

पत्र अनुसार हनुमान पुत्र मादिपार्क व जाय हनुमान पुत्र लाड शुद्धि किये जाने के
आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र

न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना
सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत मांड़ी में दिनांक 30/4/25

..... को मजमेआम में सुनाया गया।



तहसीलदार अधिकारी
फागी, जयपुर